

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ GOVERNMENT OF INDIA KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.पत्र संख्या एम-11015/98/2021-एफडी दिनांक **२०** सितम्बर, 2021

आदरणीय/आदरणीया

सादर नमस्कार,

सबसे पहले, देश के विभिन्न भागों में आगामी त्योहारों के मौसम में, मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

हाल ही में, इस मंत्रालय ने ग्राम सभा, जो कि स्थानीय स्वशासन के लिए जमीनी स्तर का लोकतांत्रिक मंच है तथा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संवैधानिक संस्था है, को और सशक्त करने के प्रयास शुरू किए हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पंचायती राज विभागों से और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, इस विषय पर, दिनांक 16 अगस्त, 2021 को एक विस्तृत एडवाइजरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई है, जिसकी एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

इस एडवाइजरी में ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने की दिशा में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ग्राम सभा की बैठकों के संचालन की आवृत्ति और कार्यप्रणाली का पुनर्गठन, एजेंडा की सामग्री और ग्राम सभा की बैठकों में विचार-विमर्श की प्रकृति में व्यापक सुधार, जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उपाय तािक उनकी भागीदारी बढ़ सके और ग्राम पंचायतों की उप-समितियों को मजबूत करने के संदर्भ में विकसित की जाने वाली सहायता प्रणाली।

आप इस बात से सहमत होंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों वाले सभी मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और ग्रामीण नागरिकों तक योजनाओं/कार्यक्रमों के लाभों को पहुंचाने के लिए ग्राम सभा, सर्वाधिक उपयुक्त साधन है क्योंकि यह आम जनता के सबसे निकटतम है।

तदुपरान्त इस मंत्रालय के सचिव द्वारा एक पत्र आपके मंत्रालय/विभाग के सचिव को भी प्रेषित किया गया है जिसकी एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर रहा हूँ। इस पत्र के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है कि आपका मंत्रालय ग्रामीण भारत में संचालित योजनाओं का विवरण प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) या ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली एक लघु वीडियो फिल्म के रूप में उपलब्ध करवाये। मेरे मंत्रालय द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आपके मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्थापित समानांतर निकायों/सिमितियों को संबंधित पंचायत उप-सिमितियों में समाहित किया जाना चाहिए ताकि प्रयासों की नकल से और पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण को कमजोर करने वाली व्यवस्थाओं को दूर किया जा सके।

चूंकि विभिन्न पहलों को अक्तूबर, 2021 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने मंत्रालय/विभाग के संबंधित अधिकारियों को इन प्रयासों को सफल बनाने में सिक्रिय समर्थन देने का निर्देश जारी करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सक्रिय सहयोग और भागीदारी से हम साथ मिलकर जीवंत ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

सादर,

संलग्नक: यथोपरि

(गिरिराज सिंह)

संबंधित लाइन मंत्रालयों के माननीय कैबिनेट मंत्री / प्रभारी मंत्री, भारत सरकार (संलग्न सूची अनुसार)



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ GOVERNMENT OF INDIA

KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No. M-11015/98/2021-FD Dated: 20 September, 2021

Respected Sir/Madam, Namaskar,

At the outset, I convey my warm regards and greetings to you for the upcoming festival season in different parts of our country.

In our efforts towards accelerated development of the rural economy and upgradation of the standards of living of the rural citizens, this Ministry has recently initiated efforts to revitalize the institution of Gram Sabha, being the grass root level democratic platform for local self-governance and the Constitutional authority for overseeing implementation of various development programmes of the Panchayati Raj Institutions (PRIs). After intensive consultations with Panchayati Raj Departments of concerned States/UTs and various experts/ stakeholders on this subject, an elaborate advisory on the subject dated 16th August, 2021 has been forwarded to the States / UTs and also shared with your Ministry/ Department vide letter dated 23rd August, 2021 (copy enclosed).

You will appreciate that for upliftment of rural economy, the active participation of all the line Ministries implementing major schemes / programmes in rural areas is essential. For ensuring that the benefits of the schemes/programmes reach the rural citizens, it would be best to utilize the institution of the Gram Sabha as it is the democratic institution closest to the rural masses.

In this regard, your Ministry has been requested to provide the details of the concerned schemes / programs being implemented in rural areas in the form of a presentation or a short video film which could be presented before the Gram Sabha. It has also been suggested that the parallel bodies / committees established towards implementation of the schemes at the Gram Panchayat level should be subsumed in the respective Panchayat sub committees to avoid duplication of the efforts and dilution of the empowerment of the Panchayati Raj System.

As it is proposed to implement the various initiatives suggested in the advisory in the States/UTs from the month of October, 2021 onwards, I solicit your active support in making these efforts successful by instructing the concerned officials to take necessary action on the measures suggested above.

I am confident that with your active cooperation and support, we can jointly ensure strengthening of the Panchayati Raj institutions through vibrant Gram Sabha and fulfill the vision of Hon'ble Prime Minister to make India 'Atmanirbhar'.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

The Cabinet Ministers/ Ministers In Charge of Concerned line Ministries,

Government of India (As per enclosed list)



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ GOVERNMENT OF INDIA KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

अ.शा.पत्र संख्या एम-11015/98/2021-एफडी दिनांक 20 सितम्बर, 2021

आदरणीय/आदरणीया

सादर नमस्कार,

सबसे पहले, देश के विभिन्न भागों में आगामी त्योहारों के मौसम में, मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

जैसे-जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा की ओर बढ़ रहा है, केन्द्र, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों का दायित्व है कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के त्वरित विकास की दिशा में मिलकर काम करें ताकि ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत किया जा सके।

हाल ही में, इस मंत्रालय ने ग्राम सभा, जो कि स्थानीय स्वशासन के लिए जमीनी स्तर का लोकतांत्रिक मंच है तथा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संवैधानिक संस्था है, को और सशक्त करने के प्रयास शुरू किए हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पंचायती राज विभागों से और विभिन्न विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद, इस विषय पर, दिनांक 16 अगस्त, 2021 को एक विस्तृत एडवाइजरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई है, जिसकी एक प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

इस एडवाइजरी में ग्राम सभाओं को जीवंत बनाने की दिशा में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ग्राम सभा की बैठकों के संचालन की आवृत्ति और कार्यप्रणाली का पुनर्गठन, एजेंडा की सामग्री और ग्राम सभा की बैठकों में विचार-विमर्श की प्रकृति में व्यापक सुधार, जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उपाय ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके और ग्राम पंचायतों की उप-समितियों को मजबूत करने के संदर्भ में विकसित की जाने वाली सहायता प्रणाली।

मुझे विश्वास है कि आप इन सुझावों को ग्राम सभाओं को जीवंत संस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए सबसे उपयुक्त और सामयिक पाएंगे जो ग्रामीण नागरिकों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने की दिशा में यह प्रयास मील का पत्थर साबित हो सकता है। चूंकि विभिन्न पहलों को अक्तूबर, 2021 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन समय से सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सिक्रिय सहयोग और भागीदारी से हम जीवंत ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और ग्रामीण आबादी के जीवन को सुगम बनाने में सफल हो सकेंगे।

सादर,

संलग्नक: यथोपरि

(गिरिराज सिंह)

सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल



ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ GOVERNMENT OF INDIA

KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

D.O. No. M-11015/98/2021-FD Dated: 20 September, 2021

Respected Sir/Madam, Namaskar,

At the outset, I convey my warm regards and greetings to you for the upcoming festival season in different parts of the county.

As our country is moving towards fulfilling the vision of 'Atmanirbhar Bharat', it is incumbent on Central, State and UT Governments to work together towards accelerated development of the rural economy and improving the standards of living of the rural citizens.

Recently, this Ministry has initiated efforts to revitalize the institution of Gram Sabha, being the grass root level democratic platform for local self-governance and the Constitutional authority for overseeing implementation of various development programmes of the Panchayati Raj Institutions (PRIs). After intensive consultations with Panchayati Raj Departments of concerned States/UTs and various experts/ stakeholders on the subject, an advisory on the subject dated 16th August, 2021 has been forwarded to the States/UTs (copy enclosed).

Through this advisory several suggestions have been given towards making the Gram Sabhas vibrant, prominent among them being those relating to increasing the frequency and methodology of conduct of the Gram Sabha meetings, the contents of the agenda and nature of deliberations in Gram Sabha meetings, awareness creation measures amongst the masses about various priority schemes of Government and enhanced public participation and the support systems to be developed for strengthening the sub-committees of the Gram Panchayats.

I believe that you would find these suggestions to be most appropriate and timely towards converting the Gram Sabhas into vibrant institutions that can fulfil the aspirations and expectations of the rural citizens. Since it is proposed to implement the various initiatives suggested in the advisory in the States/UTs from the month of October, 2021, I request you to issue necessary instructions to the concerned department officials at the earliest.

I am confident that with your active cooperation and involvement, our efforts towards strengthening the Panchayati Raj institutions by way of vibrant Gram Sabhas and improving the 'ease of living' of the rural population would be successful.

With regards,

Yours sincerely,

(GIRIRAJ SINGH)

The Hon'ble Chief Ministers of all States & Hon'ble Lieutenant Governors of Union Territories.